

2018 का विधेयक संख्यांक।११।

[दि मुस्लिम वुमैन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, 2018 का हिन्दी  
अनुवाद]

## मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और  
उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा  
विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे  
संबंधित या उसके आनुवंशिक  
विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :-

### अध्याय 1

### प्रारंभिक

5

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण)  
अधिनियम, 2018 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह 19 सितंबर, 2018 को लागू हुआ समझा जाएगा ।

संक्षिप्त  
विस्तार  
प्रारंभ ।

नाम,  
और

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "इलैक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है ;

2000 का 21

(ख) "मजिस्ट्रेट" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उस क्षेत्र में, जहां विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ; और

1974 का 2

(ग) "तलाक" से तलाक-ए-बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रूप अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम पति द्वारा उदघोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह-विच्छेद है ।

## अध्याय 2

### तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना

10

तलाक का शून्य और अवैध होना ।

3. मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखित हो या इलैक्ट्रॉनिक रूप में हों या किसी अन्य रीति में, चाहे कोई भी हो, तलाक की उदघोषणा शून्य और अवैध होगी ।

तलाक की उदघोषणा के लिए दंड ।

4. कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 में निर्दिष्ट रीति में तलाक की उदघोषणा करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

15

## अध्याय 3

### विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा

निर्वाह भत्ता ।

5. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उदघोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं उसके और आश्रित संतानों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए ।

20

अवयस्क संतानों की अभिरक्षा ।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उदघोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपनी अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी ।

25

अपराधों का संज्ञेय, शमनीय आदि होना ।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,—

1974 का 2

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा, यदि अपराध के किए जाने से संबंधित इतिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिस पर तलाक की उदघोषणा की गई है या उससे रक्त या विवाह द्वारा नातेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है ;

30

(ख) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला की पहल पर, जिस पर तलाक की उदघोषणा की गई है, मजिस्ट्रेट की

अनुज्ञा से ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे, शमनीय होगा ;

5- (ग) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिस पर तलाक की उदघोषणा की गई है, की सुनवाई करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट का यह सम्मधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं ।

2018 का  
अध्यादेश सं. 7

8. (1) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 का निरसन किया जाता है ।

निरसन और  
व्यावृत्ति ।

10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्चतम न्यायालय ने शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य के मामले तथा अन्य संबद्ध मामलों में 22 अगस्त, 2017 को 3:2 के बहुमत से तलाक-ए-बिद्दत (एक साथ और एक ही समय तलाक की तीन घोषणाएं) की प्रथा को, जिसे कतिपय मुस्लिम पतियों द्वारा अपनी पत्नियों से विवाह-विच्छेद के लिए अपनाया जा रहा था, अपास्त कर दिया था। इस निर्णय से कुछ मुस्लिम पुरुषों द्वारा विवाह-विच्छेद की पीढ़ियों से चली आ रही स्वेच्छाचारी और बेतुकी पद्धति से, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है, भारतीय मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्र करने में बढ़ावा मिला।

2. याची ने उपरोक्त मामले में, अन्य बातों के साथ, तलाक-ए-बिद्दत को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त प्रथा भेदभावपूर्ण और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। इस निर्णय ने सरकार के इस मत का समर्थन किया कि तलाक-ए-बिद्दत सांविधानिक नैतिकता, महिलाओं के सम्मान और लैंगिक समानता के सिद्धांत और साथ ही संविधान द्वारा प्रत्याभूत लैंगिक समानता के विरुद्ध है। अखिल भारतीय मुस्लिम स्वीय विधि बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जो पूर्वोक्त मामले में 7वां प्रत्यर्थी था, ने अपने शपथ-पत्र में, अन्य बातों के साथ, यह दलील दी थी कि धार्मिक प्रथाओं जैसे तलाक-ए-बिद्दत का विनिश्चय करना न्यायपालिका का कार्य नहीं है बल्कि उस पर विधान-मंडल कोई विधि बना सकता है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में यह निवेदन किया था कि वह इस कुप्रथा के विरुद्ध अपने समुदाय के लोगों को एक परामर्श जारी करेगा।

3. उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक-ए-बिद्दत को अपास्त करने और एआईएमपीएलबी के आश्वासन के बावजूद देश के विभिन्न भागों से तलाक-ए-बिद्दत के माध्यम से विवाह-विच्छेद की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। यह देखा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा तलाक-ए-बिद्दत को अपास्त करने का परिणाम कतिपय मुस्लिमों के बीच इस प्रथा द्वारा विवाह-विच्छेद के मामलों को कम करने में भय उत्पन्न करने वाले के रूप में नहीं हुआ है। इसलिए यह अनुभव किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रभावी करने के लिए और अवैध विवाह-विच्छेद की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य कार्रवाई की आवश्यकता है।

4. तलाक-ए-बिद्दत के कारण असहाय विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लगातार उत्पीड़न को निवारित करने के लिए, उन्हें कुछ अनुतोष प्रदान करने के लिए समुचित विधान तुरंत आवश्यक था। इसलिए, विवाहित मुस्लिम महिलाओं, जिनका तीन तलाक द्वारा विवाह-विच्छेद किया जा रहा है, के अधिकारों की संरक्षा करने के लिए एक विधेयक अर्थात् मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को 28 दिसंबर, 2017 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तथा उसे पारित किया गया था और यह राज्य सभा में लंबित है।

5. पूर्वोक्त विधेयक द्वारा तीन तलाक की प्रथा को शून्य और अवैध घोषित करने का और इसे तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय अपराध तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि विवाहित महिला और अश्रित बालकों को निर्वाह

भत्ता प्रदान करने और साथ ही अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए भी उपबंध किया जाए। विधेयक अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाने का उपबंध भी करता है।

6. संसद् में और संसद् के बाहर लंबित विधेयक के उपबंधों के विषय में चिंता व्यक्त की गई है, जो किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को अपराध का संज्ञान लेने और अपराध को अजमानतीय बनाने के लिए सूचना देने के लिए सशक्त करते हैं।

7. पूर्वोक्त चिंताओं पर ध्यान देने के लिए, अपराध को संज्ञेय बनाने का उपबंध किया गया है यदि किसी अपराध को कारित करने के संबंध में सूचना पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिसे तलाक दिया गया है, द्वारा या उससे रक्त या विवाह से नातेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है। अपराध को विवाहित मुस्लिम महिला की पहल पर मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएं, अजमानतीय और संज्ञेय बनाने का भी विनिश्चय किया गया है।

8. जैसा कि विधेयक, राज्य सभा के विचारार्थ लंबित है और तीन तलाक (अर्थात् तलाक-ए-बिद्दत) द्वारा विवाह-विच्छेद की प्रथा जारी थी, विधि में कठोर उपबंध करके ऐसी प्रथा को निवारित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की शीघ्र आवश्यकता थी। चूंकि, संसद् के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं, जिनके कारण इस विषय में राष्ट्रपति द्वारा तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, पूर्वोक्त परिवर्तनों सहित 19 सितंबर, 2018 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया गया था।

9. तदनुसार, उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 संसद् में पुरःस्थापित किया जा रहा है।

10. विधान, विवाहित मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के बृहत्तर सांविधानिक ध्येयों को सुनिश्चित करेगा और उनके प्रति भेदभाव के विरुद्ध और सशक्तिकरण के मूलभूत अधिकारों के हितसाधन में सहायक होगा।

11. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली ;

10 दिसम्बर, 2018

रवि शंकर प्रसाद